4788 IT Cell
08/12/15

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जींद

यादी क्रमांक 2/717–15 एच0आर0एल0 (5)
दिनांक पंचकूला।

विषयः– **अतिथि प्राध्यापकों के समायोजन बारे।**

....

विषयांकित मामले में निम्नानुसार अतिथि प्राध्यापक को वर्कलोड एंव मांग/नियम अनुसार समायोजित करने की सिफारिश की जाती है।

क्र0 न0	कर्मचारी का नाम व पद	जहां से विस्थापित किया गया।	जहां समायोजित किया गया।	विशेष कथन
1.	श्रीमती सुनीता अतिथि प्रवक्ता हिन्दी,	रा0क0व0मा0वि0 लजवाणा कलां (जींद)	रा0क0व0मा0वि0 जुलाणा (जींद)(1507)	Due to joining of regular lecturer

-Sd-
सहायक निदेशक एच0आर0एल0
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांकः सम **दिनांक पंचकूला।** 8/12/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक तम शाखा।
2. Technology Officer (I.T. Cell)

सहायक निदेशक एच0आर0एल0
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश कमांक 5/18-2015 HRME(1) **दिनांक, पंचकुला :–**

1. इसके द्वारा **श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक (66252), रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2. इसके द्वारा **श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक** से उनकें द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंनें क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।

3. इसके द्वारा **श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो वह निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।

5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(अरविंद मल्हान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कार्या0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

REGD.
श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक (66252),
रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, पंचकुला:– 7/12/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1- जि0शि0अ0 कुरूक्षेत्र।
2- प्राचार्य, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र।
3- टैक्नॉलोजी अधिकारी (स्थानीय)।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते:निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax:)- 91(0172)2701347
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17–बी चण्डीगढ –160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347

आरोप सूची– श्री राजेन्द्र कुमार लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र।

श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र द्वारा लिपिक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है:–

1. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक दिनांक 23.05.2012 से 20.01.2013 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा।

2. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार लिपिक, द्वारा जि0शि0अ0 कुरूक्षेत्र के आदेशानुसार दिनांक 21.01.2013 को पुनः कार्यभार ग्रहण किया परन्तु उसके पश्चात दिनांक 3.4.13 से 8.7.13 तक स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे।

3. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक दिनांक 5.8.13 से 24.6.14 तक बिना किसी सूचना के स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे।

4. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक ने जि0शि0अ0, कुरूक्षेत्र के आदेश कमांक ई–2/14/3805 दिनांक 24.6.14 के अनुसार दिनांक 25.6.14 को पुनः कार्यभार ग्रहण किया और परन्तु दिनांक 9.12.14 से अब तक कर्मचारी अपनी ड्यूटी से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं करके श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र ने अपने आपको हरियाणा कर्मचारी सेवा नियमावली (दण्ड एवं अपील) 1966 के नियम–7 के अन्तर्गत कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
का0 निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची– श्री राजेन्द्र कुमार लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र ।

श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र द्वारा लिपिक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है:–

2. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक दिनांक 23.05.2012 से 20.01.2013 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा।

2. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार लिपिक, द्वारा जि0शि0अ0 कुरूक्षेत्र के आदेशानुसार दिनांक 21.01.2013 को पुनः कार्यभार ग्रहण किया परन्तु उसके पश्चात दिनांक 3.4.13 से 8.7.13 तक स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे।

3. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक दिनांक 5.8.13 से 24.6.14 तक बिना किसी सूचना के स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे।

4. यह कि श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक ने जि0शि0अ0, कुरूक्षेत्र के आदेश क्रमांक ई–2/14/3805 दिनांक 24.6.14 के अनुसार दिनांक 25.6.14 को पुनः कार्यभार ग्रहण किया और परन्तु दिनांक 9.12.14 से अब तक कर्मचारी अपनी ड्यूटी से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं करके श्री राजेन्द्र कुमार, लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र ने अपने आपको हरियाणा कर्मचारी सेवा नियमावली (दण्ड एवं अपील) 1966 के नियम–7 के अन्तर्गत कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
का0 निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

गवाहों / रिकार्ड की सूची– श्री राजेन्द्र कुमार लिपिक, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र।

गवाहों की सूचीः–

1. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, थानेसर, कुरूक्षेत्र।

रिकार्ड की सूचीः–

1. रा0व0मा0वि0 मिर्जापुर, कुरूक्षेत्र के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर की प्रतियां।
2. प्राचार्य द्वारा कर्मचारी से किये गये पत्राचार की प्रति।
3. कर्मचारी द्वारा दिये गये शपथ पत्र की प्रति।
4. अन्य सम्बन्धित दस्तावेज।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II
का0 निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

SchoolCode 1510/RWR/12th/BOSE/2014

Order No. 28/15-11 PS(2) **Dated, Panchkula The 28/11/2015**

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34(1) of Haryana School Education, Rules, 2003, the sanction is hereby accorded for permanent recognition to **Aastha Public Sr. Sec. School , Basduda (Rewari)** run by Managing Committee, **Aastha-A hope for Rural India, Vill. Basduda, Distt. Rewari** , for classes from **11** to **12** in subjects of **(Arts,Commerce & Science)** under **BOSE** pattern with effect from 01.04.2015 under the following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS:-

1. This permanent Recognition is granted that on the subject to the condition that the documents/information furnished by the school authorities are factual and not devoid of truth in any way. however, if any information at any stage, is found contrary to the facts the recognition would be revoked forthwith.
2. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
3. The school shall charghe fees and funds as declared to the appropriateauthority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of any change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed reciepts of fees/funds to the students.
4. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
5. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
6. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth any other whimsical.
7. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
8. Managing Committee shall not close down the school or and exisiting class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.
9. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
10. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
11. No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
12. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
13. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
14. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt./Department as required.
15. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.
16. School will provide ramp within six months otherwiserecognition will stands withdrawn.
17. If any information, at any stage found Contrary to the Fact's the recognition would be revoked forthwith.
18. That the number of students in classroom shall not be more than the students calculated on the 10 square feet per student for secondary and Senior Secondary Schools and 9 Square feet per student fo elementary state.
19. The managing committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules 2003(amended) & R.T.E. Rules 2011 and amnedments if any thereafter. The Managing shall be liable for diciplinary action in case of violation of any provision of the rules.

M. L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst.No.Even **Dated Panchkula,the** 4/12/15
Regd.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Deputy Commissioner, **Rewari**
2. District Education Officer, **Rewari**
3. Secretary, Haryana Board of School Education, **Bhiwani**.
4. Manager, **Aastha-A hope for Rural India, Vill. Basduda, Distt. Rewari**
5. Principal, **Aastha Public Sr. Sec. School , Basduda (Rewari)**
6. Technology Officer(I.T.)

SUPERINTENDENT (PS)
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA